

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

क्रमांक : एफ/प्रशा/स्था/2022/5127

दिनांक: 28/02/2022


// कार्यालयीन आदेश //

प्रायः यह देखा गया है, कि कुछ विभागाध्यक्षों/समन्वयकों/विभागाधिकारियों द्वारा कार्यपरिषद/कुलपति/टाईम लिमिट की बैठक में पारित अनुमोदित प्रकरण पुनः उच्चाधिकारियों के समक्ष स्वीकृति/अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किये जाते हैं। इस संदर्भ में लेख है, कि यदि प्रकरण के संबंध में आदेश प्राप्त हो गये हैं तो उक्त प्रकरण को आदेश के पालन में पुनः उच्चाधिकारियों के समक्ष प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है। संबंधित विभाग प्रमुख अपने स्तर पर उक्त आदेश के पालन में कार्यवाही करें तथा कृत कार्यवाही से कुलपति/कुलसचिव कार्यालय को सूचित करना अपेक्षित है।


कुलसचिव

प्रतिलिपि:-

1. समस्त विभागाध्यक्ष/समन्वयक/निदेशक/विभागाधिकारी, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।
2. कुलपति के सचिव, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।
3. कुलसचिव के निजी सहायक, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।
4. सहा0/उप-कुलसचिव (प्रशासन), जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।
5. श्री संजय बरतरिया, आई0टी0 सेल की ओर इस आशय के साथ प्रेषित की वह उक्त आदेश को तत्काल विश्वविद्यालय की बेबसाइड पर अपलोड करें।
6. व्यक्तिगत पत्रावली हेतु।


सहा0/उप-कुलसचिव (प्रशा0)